छात्र राजनीति बनाम छात्र संघों की राजनीतिः भारत में छात्र संगठनों पर बढ़ते राजनीतिक प्रभाव का संक्षिप्त विश्लेषण

बीज शब्द : *छात्र राजनीति, छात्र आन्दोलन, छात्र संघ, छात्र संगठन*

ISSN 0975 1254 (PRINT)
ISSN 2249-9180 (ONLINE)
www.shodh.net

A Refereed Research Journal
And a complete Periodical dedicated to
Humanities & Social Science Research

शोध संचयन

भारत में छात्र संगठन अपने जन्म से ही विवादित रहे है क्योकि स्वत्रंतता से पूर्व भारतीय नेताओं ने राष्ट्रीय आन्दोलन में निरन्तर उन्हे जोड़ने का प्रयत्न किया। स्वतंत्र भारत में भी छात्र संगठन राजनीतिक प्रभाव से मुक्त नही रह सके और छात्र हितों की राजनीति धीरे-धीरे छात्र संघो की राजनीति में परिवर्तित हो गयी। छात्र संघो का निर्माण संवैधनिक दृश्टि से अनुचित नहीं कहा जा सकता किन्तु युवा शक्ति के सही प्रबन्धन के लिए छात्र राजनीति को अपने सही उद्देश्य पहचानने होगे। यह शोध पत्र छात्र संगठनों पर स्वतंत्रतापूर्व और स्वतंत्रता पश्चात पड़ने वाले राजनीतिक प्रभावों का विश्लेशण करते हुए छात्र संघो की संवैधनिक और व्यवहारिक उपादेयता से सम्बन्धित प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करता है।

डॉ० रजनीकान्त श्रीवास्तव
सहा० प्रोफेसर-राजनीति विज्ञान विभाग,
आर०एम०पी०स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सीतापुर।

भारत में छात्रसंगठन अपने जन्म से ही विवादित रहें है क्योकि स्वत्रंतता से पूर्व भारतीय नेताओं ने राष्ट्रीय आन्दोलन में निरन्तर उन्हे जोड़ने का प्रयत्न किया। स्वतंत्र भारत में भी छात्र संगठन राजनीतिक प्रभाव से मुक्त नहीं रह सके और छात्र हितों की राजनीति धीरे-धीरे छात्र संघों की राजनीति में परिवर्तित हो गयी। छात्र संघों का निर्माण संवैधानिक दृष्टि से अनुचित नहीं कहा जा सकता, किन्तु युवा शक्ति के सही प्रबन्धन के लिए छात्र राजनीति को अपने सही उद्देश्य पहचानने होगे। यह शोध पत्र छात्र संगठनों पर स्वतंत्रतापूर्व और स्वतंत्रता पश्चात पड़ने वाले राजनीतिक प्रभावों का विश्लेषण करते हुए छात्र संघों की संवैधानिक और व्यवहारिक उपादेयता से सम्बन्धित प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करता है।

छात्र राजनीति बनाम छात्र संघों की राजनीतिः भारत में छात्र संगठनों पर बढ़ते राजनीतिक प्रभाव का संक्षिप्त विश्लेषण

मात्र पुस्तकीय ज्ञान शिक्षा नहीं है। शिक्षा जीवन का सम्पूर्ण शास्त्र है। विश्वविद्यालय स्तर पर यह दायित्व और भी बढ़ जाता है। उच्च शिक्षा का उद्देश्य ज्ञान-पिपासा जगाने के साथ-साथ संस्कार-निर्माण भी है, ताकि शिक्षित जन शिष्टाचार, सामाजिक दायित्व और जीवन-कला से भी परिचित हों और समाज व राष्ट्र निर्माण के साधन और प्रेरणात्मक बन सकें।[1] विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में छात्र संघों की सकारात्मक भूमिका इस उद्देश्य को पूर्ण करने में महत्त्वपूर्ण हो सकती है। छात्र संघ भारतीय राजनीति की पाठशाला हैं। इनकी संरचना छात्रों को निर्वाचन व संसदीय व्यवस्था का सम्यक ज्ञान कराने के उद्देश्य से की जाती है। छात्र संघ के माध्यम से छात्र शिक्षा के साथ-साथ राजनीति का भी ज्ञान अर्जित करते हैं। जहाँ एक ओर छात्र संघ भविष्य की कल्पना संजोता है वहीं वह वर्तमान में छात्रों के हितों की लड़ाई लड़ता है। छात्र संघ के माध्यम से छात्र परस्पर मिलकर विचारों का आदान प्रदान करते हैं। छात्र संघ के सदस्य अपने सहपाठियों की समस्याओं को सुफलझाने में सहायता करते हैं। निर्वाचित प्रतिनिधि आम छात्रों के हित में समस्याओं का त्वरित निराकरण कराने के लिए विश्वविद्यालय, महाविद्यालय तथा जिला प्रशासन के उत्तरदायी अधिकारियों से वार्तालाप करने में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। छात्र संघों के अभाव में शिक्षण संस्थाएँ निरंकुश हो सकती हैं। निजी शिक्षण संस्थाओं में यह शोषण अक्सर देखा जा सकता है। छात्र संघ विद्यालयों में शैक्षिक वातावरण पैदा करने में सकारात्मक भूमिका निभा सकते हैं।

छात्र राजनीति और छात्र संगठन सदैव ही शोधकर्ताओं की रूचि का विषय रहे हैं। पूर्व में छात्र राजनीति पर राष्ट्रीय

एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर हो चुके कुछ प्रमुख शोधों और उनके परिणामों को देखने पर हमे इस विषय पर कई महत्त्वपूर्ण जानकारियॉ प्राप्त होती हैं।

डॉ. सी0जे0 जेफरे ने अपने शोध 'डेमोक्रेसी, हाईयर एजूकेशन एण्ड यूथ कल्चर्स: स्टूडेन्ट पोलिटिक्स् इन नार्थ इंडिया', (भूगोल व अन्तर्राष्ट्रीय अध्ययन विभाग, वाशिंगटन विश्वविद्यालय, सीयेटिल, यू0एस0ए0) में निम्नलिखित शोध समस्याओं का अध्ययन किया गया।

1. वर्ग, जाति, लिंग व धर्म के आधार पर कॉलेज परिसर स्थित राजनीति में छात्र-सक्रियता का ऑकलन।

2. परिसर स्थिति छात्र सक्रियता का उच्च शिक्षा संस्थाओं के संचालन व संगठन पर होने वाले प्रभाव की सीमा व स्वरूप का अध्ययन।

3. परिसर में युवक संस्कृति में परिवर्तन की प्रवृत्ति तथा युवक संस्कृति व छात्र राजनैतिक गतिविधियों के सम्बन्धों का अध्ययन।

सितम्बर 2004 से अप्रैल 2005 के मध्य मेरठ कॉलेज (चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ से सम्बद्ध) में किये गये इस शोध-कार्य में छात्रों, राजनीतिज्ञों, छात्र संघ से सम्बन्धित अधिकारियों का साक्षात्कार किया गया। प्रश्नावली द्वारा भी आधार सामग्री एकत्रित की गई। गौण सामग्री के रूप में समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, प्रकाशित चित्रों की भी सहायता ली गई। अध्ययन हेतु 'प्रजातंत्र', 'उच्च शिक्षा', 'युवा संस्कृति', 'छात्र राजनीति', 'भारत', 'भ्रष्टाचार' शब्दों पर विशेष बल दिया गया। शोध में निम्नलिखित निष्कर्ष प्राप्त हुए।

1. मध्यवर्गीय जाट व गूर्जर जाति के पुरूष विद्यार्थी नगरीय छात्र राजनीति में अपना राजनीतिक आधिपत्य बनाते है।

2. शोध-कार्य में इस आधिपत्य का सामना करने हेतु चार प्रकार के छात्रों को चिन्हित किया।

(अ). उच्च जाति के पुरूष अपने हितों की सुरक्षा हेतु तथा महत्त्वपूर्ण छात्र राजनीतिज्ञों का मुकाबला करने हेतु राजनैतिक दलों से जुड़ जाते हैं।

(ब). उच्च जाति की महिलायेंज जाट तथा गूर्जर जाति की राजनीति का मुकाबला करने हेतु उच्च सरकारी अधिकारियों से सामाजिक सम्बन्ध बढ़ाती हैं।

(स). दलित तथा मुसलमान जो मेरठ में सक्रिय छात्र राजनीति से अलग रहते है, राजनीतिज्ञों, बुद्धिजीवियों, कलाकरों व सरकारी व विश्वविद्यालय अधिकारियों से सम्पक्र बढ़ाकर छात्र राजनेताओं के प्रभावों को चुनौती देते हैं।

(द). वामपंथी विचारधारा का एक वर्ग वाद-विवाद, नाटकों आदि के माध्यम से वामपंथी विचारधारा पर बहस करते है।

3. छात्र-नेता भ्रष्टाचार के धआन्दोलन करते हैं परन्तु भ्रष्ट साधनों का प्रयोग करते हैं।

4. शोध कार्य द्वारा दर्शाया गया है कि किस प्रकार वर्ग, जाति, लिंग व धर्म की भावना युवा वर्ग की सांस्कृतिक संरचना निर्मित करती है।

5. शोध कार्य उन नवीन तकनीकों की भी चर्चा करता है जिसके द्वारा विद्यार्थी अपने विचारों का आदान-प्रदान करते है। लिंग के आधार पर कैसे सम्पक्र स्थापित होते हैं तथा सांस्कृतिक स्वरूप हेतु कॉलेज परिसर का क्या महत्त्व है।

इसी प्रकार का शोध मेटा वेल्य स्पेन्सर ने किया। उनके शोध 'पोलिटिकल बिहेवियर ऑफदि यूनीवर्सिटी स्टूडेन्ट्स इन इंडिया' (कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, यू0एस0ए0, जून 1969) का उद्देश्य स्वतन्त्रता उपरान्त भारतीय विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों की राजनीतिक गतिविधियों तथा विचारधारा का अध्ययन करके उन कारणों का पता लगाना था। जिसके कारण विद्यार्थी प्राय: सामूहिक रूप से विद्रोह करते हैं।

स्पेन्सर ने समय-समय पर हुए सर्वेक्षणों को अपने शोध-प्रबन्ध का आधार बनाया। सन् 1952-53 में ब्यूरो ऑफ सोशल साइंस रिसर्च, अमरीकन विश्वविद्यालय, वाशिंगटन तथा लखनऊ विश्वविद्यालय के मनोविज्ञान विभाग ने भारत के विभिन्न क्षेत्रों के ग्यारह विश्वविद्यालयों के 2044 विद्यार्थियों का सर्वेक्षण किया, जिन ग्यारह विश्वविद्यालयों को चुना गया वे थे अलीगढ़, आगरा, बनारस, बम्बई (अब मुम्बई), कलकत्ता (अब कोलकाता), दिल्ली, लखनऊ, मद्रास (अब चेन्नई), नागपुर, उस्मानिया व ट्रावनकोर (अब केरल)। प्रतिदर्श हेतु विश्वविद्यालयों तथा उससे सम्बद्ध कॉलेजों के कला तथा विज्ञान वर्ग के छात्रों को चुना गया। कक्षा, संकाय, विभिन्न क्षेत्र तथा लिंग के आधार पर समूह बनाये गये। प्रत्येक समूह हेतु एक प्रश्नावली बनाई गई जो विभिन्न वर्गो तथा क्षेत्रों का समुचित प्रतिनिधित्व करे।

शोधकर्ता ने कुछ स्थानों पर भारतीय विद्यार्थियों के उत्तरों की तुलना अमरीका के विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों से की। इसका आधार 1950-51 में समाजशास्त्रियों द्वारा एक सर्वेक्षण था जो रोज गोल्डसेज की पुस्तक 'व्हाट कॉलेज स्टूडेन्ट्स थिंक' में वर्णित था।

शोध-प्रबन्ध तीन भागों में विभाजित है। प्रथम भाग छात्र राजनीति का ऐतिहासिक विवेचन करता है। द्वितीय भाग सन् 1952 में ग्यारह भारतीय विश्वविद्यालयों में छात्रों की राजनीतिक गतिविधियों व राजनीतिक झुकाव से सम्बन्धित है। तृतीय भाग 1952 के उपरान्त विभिन्न सर्वेक्षणों तथा छात्र राजनीति में

समय-समय पर परिवर्तनों का समीक्षात्मक अध्ययन है। तृतीय भाग में सन् 1962 के आम चुनाव से पूर्व अखिल भारतीय स्तर पर 3537 मतदाताओं का साक्षात्कार किया गया जिसमें लगभग 50 छात्र भी शामिल थे। छात्रों द्वारा दिये गये उत्तरों की अन्य उत्तरों से तुलना की गई। सन् 1961 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक ओपिनियन ने कलकत्ता, दिल्ली व मद्रास में युवा शिक्षित वर्ग का सर्वेक्षण किया। शोधकर्ता ने उसका भी प्रयोग किया। सन् 1964 में रांची विश्वविद्यालय के मनोविज्ञान विभाग के अध्यक्ष डॉ0 अमर कुमार सिंह ने रांची व जमशेदपुर में बी0ए0 प्रथम व द्वितीय वर्ष के ऐसे 200 छात्रों का सर्वेक्षण किया जो ग्रामीण क्षेत्र के रहने वाले किसानों के पुत्र थे। सन् 1961 में जोसफ डी बोना ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय के 365 विद्यार्थियों का सर्वेक्षण किया। शोधकर्ता ने पत्राचार के माध्यम से कैम्ब्रिज व मैसाच्युटैश में रहने वाले भारतीयों से भी परामर्श किया। यद्यपि उसमें सब विद्यार्थी नहीं थे, परन्तु उसमें अधिकतम विद्यार्थी थे या वे थे जो डिग्री प्राप्त करने के उपरान्त कार्यरत थे। सबकी आयु 40 वर्ष से कम थी।

शोधकर्ता ने विद्यार्थियों की राजनीतिक भागीदारी के प्रश्न का मापन तालिका द्वारा किया, भविष्य में राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय भाग लेने में अधिक रूचि रखने वालों को 2 अंक तथा कम रूचि रखने वालों को 1 अंक दिया। जो विद्यार्थी किसी विशेष राजनीतिक दल को पसन्द करते थे, उन्हें एक अतिरिक्त अंक दिया गया। परिणामस्वरूप 17 प्रतिशत विद्यार्थियों ने 3 अंक, 33 प्रतिशत ने 2 अंक, 41 प्रतिशत ने 1 अंक तथा 9 प्रतिशत ने 00 अंक अर्जित किये।

राजनीतिक उत्तेजना हेतु प्रश्न था 'क्या आप प्राय: राजनीतिक घटना से उसी प्रकार उत्तेजित होते हैं, जैसे जीवन सम्बन्धी किसी विशेष घटना से?' 59 प्रतिशत विद्यार्थियों ने 'हॉ' में तथा 39 प्रतिशत ने 'ना' में उत्तर दिया। 2 प्रतिशत ने कोई उत्तर नहीं दिया।

इस महत्त्वपूर्ण शोध में छात्र राजनीति के सम्बन्ध में कई मौलिक निष्कर्ष प्राप्त हुए।

1. स्वतन्त्रता उपरान्त शीघ्रता से नये-नये राजनैतिक दलों के गठन से छात्र राजनीति प्रभावित हुई।

2. क्षेत्रीय राजनैतिक दलों ने अपने क्षेत्रीय स्वार्थ हेतु छात्रों को आन्दोलन हेतु प्रेरित किया।

3. सरकार की शिक्षा नीति ने भी प्राय: छात्रों के आन्दोलनों को प्रभावित किया।

4. गत सत्रह वर्षों में भारतीय छात्रों की आधुनिक सोच में परिवर्तन नहीं आया। अन्तर्जातीय सम्बन्धों में विशेष सुधार नहीं हुआ। यद्यपि छात्र महिला अधिकारों को सिद्धान्त रूप में स्वीकार करते हैं, परन्तु छात्र एवं छात्रायें आपस में बहुत ही कम वार्तालाप करते है। शहरी एवं ग्रामीण छात्रों के मध्य मतभेद रहता है।

5. सरकार की भाषा नीति के कारण अनेक छात्र आन्दोलन हुए।

6. अधिकतर छात्र क्षेत्रीय व परम्परागत् विचारों के शिकार हैं। क्षेत्रीय राजनीति राष्ट्रीय राजनीति से अधिक प्रभावी बन गई है।

7. मेडिकल व इंजीनियरिंग जैसे व्यवसायिक वर्ग के छात्रों की अपेक्षा सामाजिक विषयों तथा कानून पढ़ने वाले छात्र राजनीति गतिविधियों में अधिक सक्रिय हैं। विज्ञान वर्ग के छात्र भी कॉलेज की राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय नहीं हैं।

8. कॉलेज प्रशासन द्वारा पक्षपातपूर्ण व्यवहार छात्रों को विरोध हेतु प्रोत्साहित करता है।

9. स्वतंत्रता के बाद कॉलेज शिक्षकों के कम वेतन के कारण विद्वतवर्ग शिक्षा क्षेत्र की ओर अधिक आकर्षित नहीं हुआ।

10. कॉलेज में समुचित सुविधाओं की कमी के कारण छात्र आन्दोलित होते हैं। शोध-कर्ता के अनुसार जिन कॉलेजों में खेल व सांस्कृतिक कार्यक्रम संचालित होते हैं, वहाँ छात्र अधिक अनुशासनप्रिय हैं।

11. अमरीका व यूरोप के अन्य देशों की अपेक्षा भारतीय विश्वविद्यालयों के छात्र आधुनिकीकरण से पीछे हैं।

12. आवश्यकता है कि भारतीय छात्रों को 'राष्ट्रीय एकता' व 'भावनात्मक एकता' की शिक्षा दी जाए। सन् 1962 में चीन आक्रमण के विरोध में छात्रों ने इसका आभास कराया।

समस्या प्रश्नों का निर्धारण

ब्रिटिश काल में इलाहाबाद विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय सहित देश के सभी प्रान्तों में जो भी छात्र संगठन निर्मित हुए वे तत्कालीन राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाते रहे। आज हम उन छात्र वीरों को देशभक्त कहकर प्रफुल्लित होते है। स्वतंत्रता पश्चात छात्र राजनीति छात्र संघों की राजनीति में परिवर्तित होने लगी। ब्रिटिश काल में अनेक भारतीय नेता छात्र संघों में रूचि लेते रहे और राष्ट्रीय राजनीति में भाग लेने हेतु छात्र शक्ति को प्रेरित करते रहे किन्तु आज जब छात्र राजनीति की बात होती है और प्रादेशिक या राष्ट्रीय राजनीति से छात्र संघों से जुड़ने का प्रश्न उठता है तो यह एक राष्ट्रीय बहस और विवाद का स्वरूप ले लेता है। युवा छात्रों की सोच उनका राजनीतिक रुझान और राजनीति की मुख्य धारा में उनकी सक्रियता, आज भी ऐसे प्रश्न हैं जिनका विश्लेषण किया जाना चाहिए।

शोधकर्ता ने इस शोध पत्र में छात्र राजनीति से जुड़े ऐसे

ही कुछ महत्त्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर ढूढ़ने और उनका विश्लेषण करने का प्रयास किया है।

1. क्या ब्रिटिश भारत में छात्र संघ और छात्र राजनीति तत्कालीन भारतीय राजनेताओं के प्रभाव से मुक्त थी?

2. क्या स्वत्रंतता पश्चात् छात्र संगठनों का प्रयोग विभिन्न राजनेताओं व राजनीतिक दलों ने अपने हितों के लिए किया है?

3. क्या स्वत्रंतता उपरान्त छात्र राजनीति में छात्र हितों को केन्द्र में रखा गया है?

4. क्या वर्तमान समय में छात्र राजनीति के बजाय छात्र संघों की राजनीति को बढ़ावा मिल रहा है?

5. क्या छात्र राजनीति को सदैव के लिए प्रतिबंधित कर देना उचित होगा?

ब्रिटिश भारत में छात्र संघों में राजनीतिक हस्तक्षेप का विश्लेषण :

तथ्यों के अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि ब्रिटिश भारत में प्रारम्भिक काल में छात्रों का कोई ऐसा राजनीतिक संगठन नहीं था, जो देश की राजनीतिक व्यवस्था के अनुकूल हो। यह स्वाभाविक भी था, क्योकि 1885 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जन्म के पूर्व स्वायत्त राजनैतिक संस्थाओं का पूर्ण अभाव था। भारत में छात्र संघों का उदय 20वीं सदी के प्रारम्भिक दशकों की घटना है। यह भी निर्विवाद रूप से सत्य है कि छात्र सगठनों का उद्भव और उनका विकास तत्कालीन ब्रिटिश हुकूमत का विरोध करने की परम्परा का परिणाम रहा है। सकरिकर दिनकर के अनुसार, 'राष्ट्रीय आन्दोलन की उग्रता तथा उत्तेजना के साथ ही स्कूल तथा कॉलेज में छात्रों में विरोध की भावना बढ़ी।'[2] सन् 1905 में बंगाल विभाजन ने छात्र आन्दोलन को सक्रिय करने में आग में घी का कार्य किया। यद्यपि क्रान्तिकारियों ने अनुशीलन समिति, यंगमैन एसोसिएशन, अभिनव भारत जैसे अनेक संगठन गठित किए यद्यपि वे पूर्णत: छात्र संघ की परिधि में नहीं आते थे। 1889 में बम्बई में कुछ छात्रों ने सामाजिक उद्देश्य से स्टूडेन्ट्स ब्रादरहुड नामक संस्था गठित की, इसमें विभिन्न धर्मों व वर्गों के छात्र मलिन बस्तियों में सेवा कार्य हेतु जाते थे।[3] यह संगठन आज वर्तमान स्वरूप के छात्र संघों की परिधि में नहीं रखा जा सकता। 1920 के दशक के अन्त में स्थानीय स्तर पर भारत के विभिन्न प्रान्तों में कुछ स्थानीय छात्र संगठनो का निर्माण किया गया। **अखिल बंगाल विद्यार्थी परिषद्** (आल-बंगाल स्टूडेन्ट्स एसोसिएशन) बंगाल के छात्रों का एक सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण संगठन बनकर उभरा। छात्र इकाइयों के निर्मित होते ही यह भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन से प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से जुडी रही और अनेक भारतीय राजनेता और राजनीतिक दल इन पर अपना प्रभाव डालने का प्रत्यन करते रहे।

27 अक्टूबर 1923 को पं0 जवाहर लाल नेहरू ने इलाहाबाद के विद्यार्थियों से अपील की कि गर्वनर जनरल के इलाहाबाद आगमन पर उनके स्वागत् समारोह में शामिल न हों। नेहरू ने कहा: 'स्वागत् समारोह की खाली कुर्सियों और खाली रास्तों से आप यह जाहिर कर दें कि सरकार की मौजूदा नीति को इलाहाबाद के विद्यार्थी किस नजर से देखते है।'[4] अखिल बंगाल विद्यार्थी परिषद् का सम्मेलन 28 सितम्बर, 1928 को कलकत्ता में हुआ, जिसकी अध्यक्षता जवाहर लाल नेहरू ने की। बाद में एक पत्र में नेहरू ने स्वीकार किया कि 'यह परिषद् बहुत ही कामयाब रही और बंगाल के विद्यार्थियों के लिए एक मजबूत संघ कायम किया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्दी ही विद्यार्थियों के लिए एक अखिल भारतीय संघ बन जाएगा।'[5] आर0सी0 मजूमदाद ने लिखा है कि जेल में यतीन्द्र दास की मृत्यु से युवा आन्दोलनों में नई चेतना आ गई। फरवरी 1928 में लखनऊ विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने सर जॉन साइमन और उनके साथियों को विश्वविद्यालय के दीक्षान्त समारोह हेतु आमंत्रित किया। इसके ध पं0जवाहर लाल नेहरू ने एक परिपत्र जारी कर छात्रों से अपील की कि वे 'भारतीय स्वतन्त्रता के शत्रुओं का बहिष्कार करें' परिपत्र के अन्त में नेहरू ने कहा: 'क्या तुम लखनऊ में बहिष्कार प्रदर्शन में पूरी तरह भाग नही लोगे? क्या तुम उस दीक्षांत समारोह का बहिष्कार नहीं करोगे, जिसमें साइमन कमीशन भाग लेगा? यदि विश्वविद्यालय प्रशासन ने, साइमन कमीशन ने साहस किया तो क्या तुम साहस नहीं करोगे?'[6] जब साइमन कमीशन लखनऊ में 30 नवम्बर, 1928 को आया, एक बहुत बड़ी संख्या में छात्र काले झण्डे लेकर लखनऊ रेलवे स्टेशन पर एकत्रित हुए। 3 दिसम्बर, 1928 को कानपुर में बहिष्कार सफल रहा। 'स्थानीय शिक्षण संस्थाओं के छात्रों ने कक्षाओं का बहिष्कार किया तथा काले झण्डे लेकर प्रदर्शन में भाग लिया।'[7] प्रान्त के गवर्नर डब्ल्यू0एम0 हैली को भी स्वीकार करना पड़ा कि सरकार की दृष्टि में 'कमीशन का भ्रमण अरुचिकर रहा।'[8]

सन् 1929 में विद्यार्थी संगठन गठित किए गए और उनके सम्मेलन कलकत्ता, पूना, अहमदाबाद, लाहौर, अमरौली आदि अनेक स्थानों पर हुए। दिसम्बर 1929 में ऑल इण्डिया कांग्रेस ऑफ स्टूडेन्ट्स का सम्मेलन पं0 मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में लाहौर में हुआ।[9] 1929 में ऑल बंगाल स्टूडेन्ट्स एसोसिएशन की सदस्य संख्या लगभग 20,000 हो गई। 30 दिसम्बर, 1929 को लाहौर में छात्र परिषद् को सम्बोधित करते हुए पं0 नेहरू ने कहा कि 'छात्र अपना और अपने संगठन को इस प्रकार विकसित करें कि लोग यह महसूस करने लग जांए कि नौजवानों का आन्दोलन सिर्फ शब्दों में नही बल्कि काम करने का आन्दोलन है।'[10] 29 अक्टूबर, 1930 को इलाहाबाद में

आयोजित संयुक्त प्रान्त स्टूडेन्ट्स फेडरेशन के सम्मेलन को भेजे गये संदेश में सुभाष चन्द्र बोस ने छात्रों से आग्रह किया कि वे उन तत्वों से सावधान रहें जो छात्र-आन्दोलन को विभाजित करना चाहते हैं। उन्होंने कहा: 'छात्र सभायें तभी कारगर हो सकती हैं, जब वे शक्तिशाली और प्रेरक हों। सिर्फ छात्र-अधिकारों को न्याय संगत ठहराने वाले संगठन ही पर्याप्त नहीं है। संगठन को शारीरिक, बौद्धिक और नैतिक प्रशिक्षण भी दिया जाना चाहिए, ताकि छात्र व्यक्तिगत् और सामूहिक रूप से, बेहतर मनुष्य और बेहतर नागरिक बन सकें।'[11]

अगस्त 1936 को जवाहर लाल नेहरू ने ऑल इण्डिया स्टूडेन्ट्स फेडरेशन (ए0ई0एस0एफ0) सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए विद्यार्थियों को साम्प्रदायिक शक्तियों से अलग रहने का परामर्श दिया। नेहरू ने कहा:' कुछ ताकतें हिन्दुस्तान की आजादी के लिए काम कर रही हैं तो दूसरी ओर कुछ ताकतें बरतानवी साम्राज्यवाद का साथ दे रही हैं।'[12] उन्होने कहा 'एक छात्र के रूप में आपको प्रचारक के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि बौद्धिक और विद्वतापूर्ण दृष्टिकोण से इसे समझना चाहिए। आपको सवाल के दोनों पक्षों पर गौर करना चाहिए और खुद ही इस बात का फैसला करना चाहिए कि आपकी सहानुभूति किस पक्ष की ओर है।'[13] तीन माह उपरान्त ए0आई0एस0एफ0 की लाहौर में एक बैठक को सम्बोधित करते हुए शरतचन्द्र बोस ने विद्यार्थियों को परामर्श दिया कि सर्वहारा वर्ग में काम करके उन्हे राष्ट्रीय आन्दोलन में सक्रिय भागीदारी हेतु प्रेरित करें।[14] ए0ई0एस0एफ0 को प्रारम्भ से ही दोहरे विरोध का सामना करना पड़ा। मुस्लिम लीग के नेता मुस्लिम छात्रों द्वारा कांग्रेस की मदद के लिए किसी भी हड़ताल, विरोध सभा या किसी अन्य कार्यवाही में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष भाग लेने के धथे। सन् 1936 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी ने कांग्रेस को अधिक गतिशील बनाने हेतु अपने द्वार कम्युनिस्टों के लिए खोल दिए। परिणामस्वरूप बहुत बड़ी संख्या में कम्युनिस्टों ने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी तथा उसके माध्यम से कांग्रेस पार्टी में प्रवेश किया। यद्यपि कम्युनिस्टों ने छात्र संगठनों पर नियन्त्रण का विशेष प्रयास किया। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के अप्रैल 1938 के लाहौर सम्मेलन में कम्युनिस्टों तथा सोशलिस्टों के मध्य मतभेद उभर कर सामने आ गये जिसका प्रभाव छात्र संगठनों पर पड़ा।[15]

सन् 1940 में कांग्रेस द्वारा व्यक्तिगत् सत्याग्रह आन्दोलन में साम्यवादियों को अलग रखने के परिणामस्वरूप साम्यवादी नियन्त्रण वाली स्टूडेन्ट्स फेडरेशन ने नवम्बर व दिसम्बर 1940 में विभिन्न स्थलों पर प्रदर्शन किए। द्वितीय विश्वयुद्ध के समय साम्यवादियों ने ब्रिटिश सरकार का समर्थन किया जिसके कारण उनके नियन्त्रण में ऑल इंडिया स्टूडेन्ट्स फेडरेशन प्रतिबन्धित नही की गयी और उसकी इकाइयॉ वैधनिक रूप से कार्य करती रहीं। परिणामस्वरूप अधिकतर प्रान्तों में कम्युनिस्टों का स्टूडेन्ट्स फेडरेशन पर नियन्त्रण बढ़ता गया जो बंगाल, मद्रास, पंजाब व संयुक्त प्रान्त में विशेष रूप से था।[16] 1 मार्च 1941 को गांधीजी ने संयुक्त प्रान्त स्टूडेन्ट्स फेडरेशन के समक्ष भाषण देते हुए छात्रों को चेतावनी दी कि समय के पूर्व दलगत राजनीति में न पड़े। उन्होनें छात्रों से अनुरोध किया कि वे सभी पक्षों की बात सुने और विभिन्न विचारधाराओं का अध्ययन करें।[17] सन् 1936 के लखनऊ अधिवेशन के उपरान्त स्टूडेन्ट्स फेडरेशन लगातार समाजवादियों के नियन्त्रण में थी तथा साम्यवादी उसे अपने नियन्त्रण में करने के लिये लगातार प्रयत्नशील थे।'[18]

स्वतंत्र भारत में छात्र संगठनों पर राजनीतिक प्रभाव का विश्लेषण:

स्वतंत्रता पश्चात् छात्र संगठनों का तीव्रता से विस्तार हुआ और उनकी राजनीति सदैव ही राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों की राजनीति से सम्बन्धित रही है और राजनेताओं ने इनका प्रयोग अपनी-अपनी विचारधाराओं के प्रचार प्रसार और युवा वोटबैंक के निर्माण हेतु किया। भारत में प्रमुखत: छात्र संगठनों में से एक ए0आई0एस0एफ0 ने प्रारम्भ से ही अपने को इंटरनेशनल यूनियन ऑफस्टूडेन्ट्स से सम्बद्ध रखा तथा 1956 में लघु बानडुंग सम्मेलन में भाग लिया। सम्मेलन में कम्युनिस्ट समर्थक एशिया तथा अफ्रीका के विद्यार्थी प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सम्मेलन में अपने प्रस्तावों द्वारा सभी श्रेणी के उपनिवेशवाद की भर्त्सना की गई तथा आणविक शस्त्रों को समाप्त करने की मांग की।[19]

बहुचर्चित छात्र संगठन ए0आई0एस0एफ0 ने एशिया विद्यार्थी संगठनों, विशेषकर नेपाल से निकट सम्बन्ध बनाये रखने का प्रयास किया। परन्तु भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से सम्बद्ध रहने के कारण संगठनात्मक रूप से यह अधिक शक्तिशाली नहीं बन सका। इसका नेतृत्व भी विद्यार्थियों की अपेक्षा पेशेवर नेताओं के हाथ आ गया।[20]

1970 के दशक के प्रथम चरण में जे0पी0 (जयप्रकाश नारायण) आन्दोलन में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अ0भा0वि0प0) की महत्त्वपूर्ण भूमिका थी। गुजरात में छात्रों ने अपने आन्दोलन का नाम 'नव-निर्माण आन्दोलन' रखा, जबकि बाहर में गैर-वामपंथी छात्र प्रतिनिधियों ने बिहार प्रदेश छात्र-संघर्ष-समिति गठित की। शीघ्र ही अन्य राज्यों में भी छात्र-समितियॉ गठित की गई। जे0पी0 आन्दोलन में सक्रिय होते हुए भी अ0भा0वि0प0 जे0पी0 के 'एक वर्ष के लिए पढ़ाई छोड़ दो' नारे के पक्ष में नहीं थी। सन् 1974-75 में जब जयप्रकाश नारायण ने समग्र क्रान्ति के अप आह्वन में छात्रों से सड़क पर उतरने की बात कही थी तो उन्होंने कहा था कि नये नेतृत्व को उभरने का मौका देना आवश्यक है। जून 1975 में श्रीमती

इंदिरा गांधी द्वारा थोपी आपातकाल के धअखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अ0भा0वि0प0) ने जो भूमिका निभाई वह अतुल्य थी। सन् 1977 में जनता पार्टी की विजय हेतु छात्र-शक्ति को संगठित करने में विद्यार्थी परिषद् की प्रभावशाली भूमिका रही है।

समय-समय पर भारत में क्षेत्रीय राजनीतिक दलों ने अपने निहित स्वार्थ हेतु विद्यार्थियों का प्रयोग किया। सन् 1949 में सी0एम0 अन्नादुराई ने द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डी0एम0के0) पार्टी की स्थापना की। इसका उद्देश्य द्रविड़ परम्परा और संस्कृति को बनाये रखना तथा तमिल समुदाय को राजनीतिक क्षेत्र में प्रभाव और उच्चता की स्थिति प्रदान करना था। हिन्दी विरोध, ब्राह्मण विरोध और आगे चलकर 'राज्यों के लिए स्वायत्ता' इस दल की नीति और कार्यक्रम के मुख्य आधार रहे। अपने उद्देश्यों को पूरा करने व सत्ता में आने के लिए पार्टी ने युवा पीढ़ी विशेषकर कॉलेजों के विद्यार्थियों का प्रयोग किया।[21] 1960 के दशम में डी0एम0के0 समर्थित विद्यार्थियों ने भाषा के प्रश्न पर हिन्दी के धइतना तीव्र व व्यापक आन्दोलन चलाया जिसमें 50 से अधिक मृत्यु हुई और केन्द्र सरकार को अपनी भाषा नीति को स्थगित करना पड़ा। विद्यार्थी संघर्ष समिति ने डी0एम0के0 पार्टी का साथ दिया।[22] 1972 में एम0जी0 रामचन्द्रन ने डी0एम0के0 से अलग होकर ए0डी0एम0के0 गठित की।

आज देश में 60 से अधिक छात्र संगठन कार्यरत् हैं जो विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय स्तर पर राजनीतिक गतिविधियों को संचालित कर रहे है आज कांग्रेस, भा0ज0पा0, ब0स0पा0, समाजवादी पार्टी सहित प्रत्येक राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दल ने अपनी छात्र इकाईयॉ बना रखी हैं।

छात्र राजनीति में छात्र हित

समय-समय पर छात्र संघों ने अनीति व अन्याय के ध संघर्ष करके कॉलेज, विश्वविद्यालय, प्रशासन तथा सम्बन्धित सरकार को अपना गलत निर्णय बदलने के लिए बाध्य किया। उत्तर पुस्तिकाओं का न्यायोचित् व निष्पक्ष मूल्यांकन सुनिश्चित् करने के लिए छात्र संघों ने कई बार उग्र आन्दोलन किए। 1994 में तथा पुनः 1996 में अभियंत्रिकी, कृषि तथा आयुर्विज्ञान के पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षाओं में प्रश्न-पत्रों के खुल जाने (आउट) का भंडाफोड़ किया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् के प्रयासों के परिणामस्वरूप 1994 में परीक्षा में स्तर (मैरिट) प्राप्त करने वाले छात्रों की सूची की पूर्व घोषणा करनी पड़ी और 1996 में अभियंत्रिकी की पुनः परीक्षा हुई।[23]

अगस्त 2006 में चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ की परीक्षा की उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन कक्षा V से VIII तक के विद्यार्थी कर रहे थे। उत्तर पुस्तिकाओं के अनेक बंडल खेतों में पड़े मिले। विभिन्न टीवी चैनल के माध्यम से इसे प्रसारित किया गया। इसका सबसे शर्मनाक पहलू था कि इस घोटाले में स्वयं विश्वविद्यालय के कुलसचिव व उनका पुत्र शामिल था। विभिन्न छात्र संगठनों द्वारा विरोध के कारण कुलसचिव के पुत्र को बन्दी बनाया गया और कुलसचिव तथा अनेक प्राध्यापकों के धप्राथिमिकी दर्ज कराई गयी।

28 जनवरी 2007 को अलीगढ़ में छात्र संगठन ने आन्दोलन किया क्योंकि कॉलेज प्रशासन परीक्षा रोल नम्बर वितरित करने पर पैसा वसूल रहा था।[24]

14 जून 2007 को उत्तर प्रदेश में सी0पीए0म0टी0 के परिणाम घोषित हुए। विद्यार्थियों ने मूल्यांकन में धांधली का आरोप लगाकर विभिन्न नगरों में हिंसात्मक प्रदर्शन किए। 15 जून 2007 को कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी में तोड़फोड़ व पथराव हुआ। लखनऊ में विद्यार्थियों ने एक बस को आग के हवाले कर दिया जिसमें माँ और उनके दो बच्चे सहित पाँच लोग झुलस गये।[25] परिणामस्वरूप उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती ने नौ सदस्यीय जॉच समिति नियुक्त की। जॉच के उपरान्त धांधली स्पष्ट हुई तथा पूर्व घोषित परिणामों में काफी उलटफेर हो गया। पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर के कुलपति एवं सी0पी0एम0टी0 परीक्षा-2007 के अध्यक्ष डॉ0 के0पी0सिंह को गलत परीक्षाफल घोषित करने का दोषी पाया गया। राज्यपाल टी0वी0 राजेश्वर ने कुलपति को बर्खास्त किया तथा डॉ0 के0पी0 सिंह के धकठोर कार्यवाही की संस्तुति की।[26]

छात्र संघ आन्दोलन सदैव विध्वंसक, दमनकारी और अनीतिपूर्व नहीं होते। विद्यार्थियों द्वारा छात्र-हित, समाज-हित और राष्ट्र-हित को लेकर भी आन्दोलन किए जाते है। सन् 1962 में चीन द्वारा भारत पर आक्रमण के समय विद्यार्थियों ने जो सराहनीय कार्य किया उस पर राष्ट्र को गर्व है। छात्रों ने पौधे लगाने की योजना में कार्य किया। परिवार नियोजन हेतु जुलूस निकाले। दहेज, जमाखोरी, तस्करी आदि के विरोध में आन्दोलन किए। समय-समय पर ए0आई0एस0एफ0 ने विद्यार्थी संगठन के अधि कारों हेतु सुविधाएँ बढ़ाने, ट्यूशन पद्धति पर नियन्त्रण, अध्यापकों का वेतन बढ़ाने आदि के लिए आन्दोलन किए।

छात्र राजनीति के बजाय छात्र संघों की राजनीति

आज छात्र राजनीति का स्वरूप पूरी तरह बदला दिखाई देता है। छात्र हितों की बात गौण हो गयी है और छात्र संघ राजनीतिक दलों के हाथों की कठपुतलियाँ बन गये है। आज भी छात्रों की विभिन्न समस्याये है जिनके लिए छात्र संगठन प्रभावी भूमिका निभा सकते है। किन्तु इन समस्याओं के प्रचार हेतु मीडिया आकर्षित नहीं होता है, अतः विद्यार्थी समाज इनसे न तो लाभान्वित होता और न ही राजनीतिक लाभ मिलता। किसी प्राध्यापक को मारने, चक्का जाम करने, तोड़-फोड़ करने से वे

राजनीतिक दल के नेताओं व परामर्शदाताओं की निगाह में शीघ्र आ जाते हैं।'[27] अत: छात्र राजनीति का स्वरूप बदल गया है। छात्र संघों की संरचना का उद्देश्य चाहे जितना भी सकारात्मक रहा हो, परन्तु समय बीतने के साथ वहीं 'छात्र नेता' के रूप में एक ऐसी जमात पनप रही है जिससे न केवल शिक्षा संस्थाओं का प्रशासन वरन् साधारण जनता भी डरती है। छात्र संघ के चुनाव की आड़ में बाजारों से धन की वसूली होती है। ऐसा शायद ही कोई छात्र नेता होगा जो ठेकेदारी न करता हो और जिसके साथ असलाहा धारी न रहते हों। जुलाई 2006 में जामिया मिलिया विश्वविद्यालय के कुलपति मुशिरूल हसन ने 40 छात्रों को विश्वविद्यालय में प्रवेश देने से इंकार कर दिया। 'वे पाँच वर्ष पूर्व विश्वविद्यालय में पढ़ चुके थे। कुछ तो पिछले पन्द्रह वर्षो से विश्वविद्यालय के विद्यार्थी थे और पुन: प्रवेश चाहते थे। इसका प्रमुख कारण था छात्र संघ का चुनाव लड़ना। बहुत से आपराधिक मामलों में लिप्त थे।'[28] जब कुलपति ने कठोर कदम उठाया, विश्वविद्यालय परिसर में हिंसा भड़क उठी, विद्यार्थी नेताओं तथा विश्वविद्यालय प्रशासन के मध्य संघर्ष हुआ। 'विश्वविद्यालय को अनिश्चितकाल के लिए बन्द कर दिया गया तथा 48 घंटे के अन्दर छात्रावास खाली करने के आदेश दिए गए।[29] उत्तेजित विद्यार्थियों ने 32 कारों को क्षति पहुंचाई, 15 कम्प्यूटर तोड़ डाले, परिसर में खिड़कियों के शीशे ध्वस्त कर दिये जिसके परिणामस्वरूप विश्वविद्यालय को 50 लाख रूपये की हानि उठानी पड़ी।[30] छात्र नेता किस सीमा तक अपराधिक मामलों में लिप्त है इसके कुछ ज्वलन्त उदाहरण लखनऊ विश्वविद्यालय में छात्र कल्याण विभाग की डीन (संकाय-अध्यक्ष)प्रो0 निशी पांडे ने दिया। एक छात्र नेता जिसने 2005-06 सत्र में एक दिग्गज पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा, उस पर लूटमार व गलत तरीके से पैसे वसूलने का आरोप था। उस नेता ने तथा उसके सहयोगियों ने प्रो0 निशी पांडे को जान से मारने की धमकी दी जब उनको एक रात लड़कियों के छात्रवास में उत्पात करने से रोका गया। माधव कॉलेज, उज्जैन, मध्य प्रदेश के प्राध्यापक हरभजन सिंह सब्बभरवाल को विद्यार्थियों ने इतना मारा कि उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने छात्र संघ चुनाव स्थगित करने का सुझाव दिया था। 22 सितम्बर 2006 को जब उच्चतम न्यायालय में लिंगदोह समिति की सिफारिशों पर बहस हुई तो अतिरिक्त महान्यायाभिकर्ता (सोलिसिटर जनरल) ने न्यायालय का ध्यान प्रो0 सब्बभरवाल की मृत्यु की ओर दिलाया। न्यायालय की खण्डपीठ ने कहा: 'छात्रो द्वारा दी गई गुरू दक्षिणा से हम दुखित हैं। छात्र संघ चुनावों पर पाँच वर्षो का अधिस्थगत होना चाहिए। छात्र संघों के अभाव में भी कॉलेज सुचारु रूप से चल सकते हैं।'[31]

9 फरवरी 2007 को सम्पूर्णानन्द संस्कृत महाविद्यालय में दीक्षांत समारोह को सम्बोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के राज्यपाल टी0वी0 राजेश्वर ने संस्कृत भाषा विरोधी बयान दिया। उनके अनुसार किसी समय 'संस्कृत देववाणी रही होगी' परन्तु अब 'व्यावहारिक नहीं रह गई है।' संस्कृत के अध्ययन से विद्यार्थी केवल 'शिक्षक, मंदिर का पुजारी या पुरोहित बन सकता है।' राज्यपाल के अनुसार समयानुसार परिवर्तन आवश्यक है। 'विदेश जाना है तो संस्कृत को पकड़कर न रखें। लोग चांद पर जा रहे है, ऐसे में आप बैलगाड़ी युग में न रहें।' संस्कृत के धआपत्तिजनक बयान से नाराज विद्यार्थियों ने उनके धजमकर नारेबाजी की, कुर्सियाँ फेंकी, जूते चप्पल भी चले। मंच पर तोड़फोड़ की कोशिश की गई। पुलिस ने लाठीचार्ज किया।[32]

शायद ही कोई दिन व्यतीत होता हो जब किसी न किसी शैक्षिक संस्था में हिंसात्मक उपद्रव का समाचार न आता हो। आज साधारण सी बात पर छात्र नेता कॉलेज या विश्वविद्यालय परिसर में तोड़फोड़ करते है, अध्यापकों को धमकी देते हैं तथा प्रहार करते हैं।

कॉलेज और विश्वविद्यालय विद्या के मंदिर न रहकर राजनीति के अखाड़े बन गये है। छात्र संघों में राजनीतिक दलों के युवा संगठनों का प्रवेश तेजी से बढ़ रहा हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के चुनाव परिणामों का आकलन कांग्रेस व भारतीय जनता पार्टी के प्रभाव के रूप में देखा जाना अब सामान्य बात हो गई है। देश के सभी विश्वविद्यालयों, विशेषकर उत्तर भारत में छात्र संघ चुनावों को अपने अनुकूल बनाने के लिए राजनीतिक दल लाखों रुपया व्यय करते हैं। छात्र संघों का चुनाव जहाँ राजनीतिक दलों के लिए प्रभुत्व विस्तार का महत्त्वपूर्ण माध्यम बन गया है । छात्र संघ के पदाधिकारी सत्ताधरी राजनीतिक दल के कृपापात्र बनकर मनमानी करते हैं। बहुत से तो अंगरक्षक प्राप्त कर लेते हैं।

छात्र राजनीति के प्रतिबंध का प्रश्न

अन्त में हमारे समक्ष यह महत्त्वपूर्ण प्रश्न उपस्थित होता है कि क्या छात्र राजनीति के इस विक्रत स्वरूप को देखते हुए छात्र संघों को सदा के लिए प्रतिबन्धित कर देना चाहिए। छात्र संघों के गठन एवं कार्यविधि पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर 2006 में गठित लिंगदोह समिति गम्भीर विचार विमर्श के उपरान्त इस निष्कर्ष पर पहुंची समिति छात्र संघ का स्वरूप अराजनीतिक होना चाहिए। किमिति के अनुसार नेशनल स्टूडेन्ट्स यूनियन ऑफइंडिया, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद्, ऑल इंडिया स्टूडेन्ट्स फेडरेशन, स्टूडेन्ट्स फेडरेशन ऑफइंडिया जैसे संगठनों का मुख्य लक्ष्य छात्र संघ चुनावों का राजनीतिकरण करना है। ऐसे संगठनों द्वारा छात्र संघ चुनावों में हस्तक्षेप से छात्रों में गुटबाजी बढ़ती है, परिणामस्वरूप छात्र संघ अपने वास्तविक उद्देश्य से भटक जाता है।[33] अत: समिति के अनुसार 'प्रजातान्त्रिक छात्र प्रतिनिधित्व' का अभिप्राय किसी भी राजनीतिक दल से जुड़ना नहीं है।

विश्वविद्यालय का प्रमुख कार्य शिक्षा देना है न कि विशेष राजनीतिक विचारधारा का प्रचार करना है। समिति ने दु:ख प्रकट किया कि 'वह दिन चले गये जब छात्र आन्दोलन सत्याग्रह के रूप में था।'[34] 'आज छात्र राजनीति का वह रूप नहीं है जैसा होना चाहिए। वह दिन चले गये जब कॉलेज में समझदार छात्र समिति छात्र हित की योजनायें बनाती थी तथा छात्रों के हितों की रक्षा करती थी।'[35] आज राजनीतिक दल विश्वविद्यालयों को अपने समर्थक चयन करने के केन्द्र बना रहे हैं। नक्सलवादी आन्दोलन, जे0पी0 आन्दोलन, मुस्लिम लीग आन्दोलन, नर्मदा बचाओ आन्दोलन इसके उदाहरण है। अनेक स्थानों पर विशेषकर उत्तरी भारत में छात्र-राजनीति दादागिरी तथा धनशक्ति पर चल रही है। लिंगदोह समिति ने केरल उच्च न्यायालय के एक निर्णय को उद्धत किया। सन 2003 में सोजन फ्रांसिस मामले पर न्यायालय ने कहा: 'शिक्षण संस्थाओं को अधिकार है कि वह कॉलेज परिसर की सीमा में राजनीतिक गतिविधियों को प्रतिबन्धित कर सकती है तथा छात्रों को कॉलेज सीमा के अन्तर्गत अधिकृत बैठकों के अतिरिक्त राजनीतिक मीटिंग करने या उसमें भाग लेने से रोक सकती है।'[36] न्यायालय के समक्ष जब यह प्रश्न उठाया गया कि क्या उपरोक्त प्रतिबन्ध संविधन के अन्तर्गत अनुच्छेद 19 (बी) व (सी) में वर्णित मौलिक अधिकार के धनहीं है, न्यायालय ने व्यक्त किया कि यह प्रतिबन्ध संविधान के अनुच्छेद 19(2) में वर्णित 'उचित प्रतिबन्ध' के अनुरूप हैं।

अत: छात्र संघों को सदा के लिए प्रतिबन्धित कर देना सवैधानिक प्ररिप्रेक्ष से उचित नही होगा। भारतीय संविधान के भाग तीन में नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकारों से सम्बन्धित अनुच्छेद 19 सभी नागरिकों को संघ या समुदाय निर्माण की स्वत्रंतता प्रदान करता है अत: छात्र संघों पर प्रतिबन्ध लगाना असंवैधानिक होगा। छात्र संघ के गठन और कार्यविधि में निश्चित ही मौलिक परिवर्तन करने की आवश्यकता है। छात्र संघों की उपादेयता है। समय की आवश्यकता है कि छात्र संघों को नियन्त्रित किया जाए न कि प्रतिबन्धित।

संदर्भ:-

1. डॉ0 जाकिर हुसैन, एजुकेशन एण्ड नेशनल डेवलेपमेन्ट (हर आनन्द पब्लिकेशन दिल्ली 1993) पृ0 20-24
2. सकरिकर दिनकर 'ए हिस्ट्री ऑफस्टूडेन्ट मूवमेन्ट इन इंडिया' उद्वत (फिलिप जी0 अल्टवाच, स्टूडेन्ट पोलिटिक्स इन इंडिया (डीडालुस, विन्टर 1968)पृ0 272
3. फिलिप जी0 अल्टवाच, स्टूडेन्ट पोलिटिक्स इन बम्बई (एशिया पब्लिशिंग हाउस, बम्बई, 1968) पृ0 64-66
4. जवाहर लाल नेहरू वाडमय, खण्ड 2 (जवाहर लाल स्माकर विधि तथा सस्ता साहित्सय मण्डल का संयुक्त प्रकाशन, दिल्ली 1974)पृ0 202
5. पूर्वो पृ0 67
6. भारत सरकार होम0 पोलिटिक्ल 130/129 उद्वत: ज्ञानेन्द्र पांडे, द एसनडेन्सी ऑफ द कांग्रेस इन उत्तर प्रदेश 1926-34 (ऑक्सफोर्ड यूनीवर्सिटी प्रेस, दिल्ली 1978)पृ0 88
7. डॉ0 एम0एल0 भार्गव, गणेश शंकर विद्यार्थी (प्रकाशन विभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, दिल्ली, 1988)पृ0 118
8. ज्ञानेन्द्र पांडे, द एसनडेन्सी ऑफ द कांग्रेस इन उत्तर प्रदेश 1926-34 (ऑक्सफोर्ड यूनीवर्सिटी प्रेस, दिल्ली 1978)पृ0 90
9. आर0सी0 मजूमदार, स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, खण्ड-2 (भारतीय विद्या भवन, बम्बई,1978)पृ0 462
10. जवाहर लाल नेहरू वाडमय खण्ड-4, पूर्वो (1975), पृ0 23
11. नेताजी सम्पूर्ण वाड.मय, खण्ड-9 (प्रकाशन विभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रलय, भारत सरकार, दिल्ली 1998)पृ0 45-46
12. जवाहर लाल नेहरू वाडमय खण्ड-7 पूर्वो (1979), पृ0 319
13. वही (पूर्ण भाषण हेतु देखें, पृ0 318-25)
14. गेनी डी0 ओवरस्ट्रीट एण्ड मार्शल विन्डमिलर, कम्यूनिज्म इन इंडिया (यूनीवर्सिटी ऑफकैलिोर्निया, 1960)पृ0 297
15. डॉ0 एन0सी0 मेहरोत्र, द सोशलिस्ट मूवमेन्ट इन इंडिया (रेडियन्ट पब्लिशर्स, दिल्ली, 1995)पृ042-51
16. बी0बी0 मिश्र, द इंडियन पोलिटिक्ल पार्टीज, (ऑक्सफोर्ड यूनीवर्सिटी प्रेस, दिल्ली 1978)पृ0 465
17. सम्पूर्ण गांधी वाड.मय, खण्ड-73 पृ0 386
18. होम (पोल0)फाइल नं0 7/1, 1941 पृ0 22-23 उद्वत: बी0बी0मिश्र पूर्वो पृ0 466
19. ओवरस्ट्रीट एण्ड विन्डमिलर, पूर्वो, पृ0400-401
20. वही
21. राबर्ट एल0 हार्डग्रेवस 'रिलीजन, पोलिटिक्स एण्ड द डी0एम0के0' डोनाल्ड स्मिथ (सम्पादित) साउथ एशियन पोलिटिक्स एण्ड रिलीजन (प्रिसंटन यूनिवर्सिटी प्रेस, न्यू जर्सी 1966)पृ0 224
22. फिलिप जी0 अल्टवाच, स्टूडेन्ट पोलिटिक्स इन इंडिया, पूर्वो पृ0 268 ज्ञातव्य हो संविधान के अनुच्छेद 343 द्वारा देवनागरी लिपि में लिखी गई हिन्दी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया। परन्तु संविधान प्रवर्तन के 15 वर्ष बाद तक संघ की राजभाषा के रूप में अंग्रेजी का प्रयोग होता रहा। परन्तु संसद विधि द्वारा उपर्युक्त 15 वर्ष की अवधि के बाद भी अंग्रेजी भाषा तथा देवनागरी लिपि का प्रयोग चालू रख सकती है।
23. उद्वत: हो0के0 शेषाद्रि,कृतिरूप संघ दर्शन (सुरूचि प्रकाशन, दिल्ली 2003)पृ0 300
24. दैनिक जागरण, मेरठ संस्करण, 1 मार्च 2007
25. हिन्दुस्तान, लखनऊ 16 जून, 2007
26. वही 22 जून, 2007
27. सेन्ट्रल क्रानिकल, भोपाल, 6 सितम्बर, 2006
28. प्रत्युश, दिल्ली, 20 जुलाई,2006
29. वही
30. वही
31. द हिन्दू, दिल्ली, 23 सितम्बर 2006
    11 जुलाई, 2007 को उच्चतम न्यायालय ने प्रो0 सब्भरवाल हत्या केस की सुनवाई कर रही निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगा दी। निचली अदालत ने सभी 51 गवाहों ने अपने बयान बदल दिए। प्रो0 सब्भरवाल के पुत्र ने उच्चतम न्यायालय से मांग की है कि मुकदमेंको उज्जैन से दिल्ली स्थानान्तरित कर दिया जाए। ज्ञातव्य हो कि प्रो0 सब्भरवाल की हत्या में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् के छात्र शामिल है और मध्य प्रदेश में भारतीय जनपा पार्टी की सरकार में मुख्यमंत्री, शिवराजसिंह चौहान अ0भा0वि0प0 के पूर्व सदस्य रह चुके है।
32. अमर उजाला, बरेली, 18 फरवरी 2007
33. कमेन्टरी लिंगदोह कमेटी रिकमेन्डेशनस्, लिबरेशन,दिल्ली, नवम्बर, 2006, पृ0 1 (इन्टरनेट)
34. वही
35. टेलीग्राफ, दिल्ली, 17 सितम्बर, 2006
36. एस0सी0 आर0 567: उद्वत: डॉ दुर्गा दास बसु, इन्ट्रोडक्सन टू द कान्सटीट्यूशन ऑफ इण्डिया (वाधवा एण्ड कम्पनी, आगरा, 19वां संस्करण, 2004)पृ0 102